महत्वपूर्ण निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
महानदी भवन, मंत्रालय,
नया रायपुर – 492 002

क्रमांक : 99 /मु.स./2014 नया रायपुर, दिनांक : 27/01/2014

प्रति,

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग
प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग
प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग
सचिव, लोक निर्माण विभाग
सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, रायपुर

विषय :– निर्माण ठेकेदारों का एकीकृत पंजीकरण तथा Unique Identification Number के संबंध में।

प्रचलित व्यवस्था में विभिन्न निर्माण विभाग/संस्था (PWD, PMGSY, RES, NRDA, विकास प्राधिकरण, हाऊसिंग बोर्ड, WRD, PHED, नगर निगम आदि) में ठेकेदारों के पृथक–पृथक पंजीयन की व्यवस्था है, जबकि इन विभागों में ठेकेदार प्रायः common होते हैं। इससे ठेकेदारों को असुविधा के साथ–साथ एक विभाग द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी अन्य विभाग को नहीं होती है।

2. **इसे ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा जनवरी, 2014 से ठेकेदारों की विभागवार पंजीयन व्यवस्था के स्थान पर केन्द्रीयकृत ऑन लाईन पंजीयन व्यवस्था लागू की गई है।** इस नवीन व्यवस्था के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, नोडल विभाग होगा तथा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण पंजीकरण अधिकारी होंगे। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा पृथक से निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं।

3. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज दिनांक 27/01/2014 को इस नवीन प्रक्रिया का शुभारम्भ करते हुए अपने उद्‌बोधन में यह निर्देश दिए हैं कि इस नवीन प्रणाली को उपर्युक्त वर्णित सभी विभागों द्वारा एकसाथ लागू किया जाना है।

4. अतः इस निर्देश के पालन हेतु आपके अधिनस्थ सभी विभागाध्यक्षों को समुचित निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें। की गई कार्यवाही से सीधे ही मा. मुख्यमंत्री जी के सचिवालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(सुनिल कुमार)
मुख्य सचिव

FROM : FAX NO. : Feb. 27 1999 10:04PM P1

पृष्ठांकन क्रमांक : 160 /मु.स./2014 नया रायपुर, दिनांक : 27/01/2014

प्रतिलिपि :–

प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

FROM : FAX NO. : Feb. 27 1999 10:05PM P2

छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन–नया रायपुर

–:: आदेश ::–

नया रायपुर दिनांक 25/01/2014

क्रमांक एफ 21–8/टी/19/12/निविदा, छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त निर्माण विभागों हेतु ठेकेदारों के पंजीयन की विभागवार व्यवस्था के स्थान पर एकीकृत पंजीयन व्यवस्था ई-रजिस्ट्रेशन लागू करने के लिये कार्यविभाग नियमावली 1983 भाग-1 के चेप्टर-II सेक्शन-16 (कंडिका 2.095 से 2.102) में संशोधन करने का प्रस्ताव मंत्रि परिषद् द्वारा दिनांक 12.09.2013 को अनुमोदित कर दिया गया है ।

इस संबंध में प्रदेश में ठेकेदारों के ई-रजिस्ट्रेशन हेतु एकीकृत पंजीयन व्यवस्था दिनांक 27 जनवरी, 2014 से लागू की जाती है ।

एकीकृत पंजीयन व्यवस्था के अंतर्गत ठेकेदारों के ई-रजिस्ट्रेशन हेतु प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर, (छत्तीसगढ़) पंजीकरण प्राधिकारी होगें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
25/1/14
(जे.एम.लुलु)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग 25/1/14

पृ.क्रमांक एफ 21–8/टी/19/12/निविदा, नया रायपुर दिनांक 25/1/2014

प्रतिलिपि :-

1/ निज सचिव, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

2/ अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

3/ अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ...(समस्त विभाग) की ओर सूचनार्थ ।

4/ समस्त प्रमुख अभियंता(निर्माण विभाग), छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ ।

5/ समस्त मुख्य अभियंता(निर्माण विभाग), छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ ।

6/ समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ ।

25/1/14
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग 25/1/14

 E mail ID, ust_pwd@yahoo.in Ph.No. 0771-2510741 & Fax 2510741

छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन–नया रायपुर

क्रमांक एफ 21–8/टी/12/19/निविदा, नया रायपुर दिनांक 25/01/14
प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
रायपुर(छ.ग.)

विषय :- **राज्य में समस्त निर्माण विभागों हेतु ठेकेदारों के पंजीयन एवं कार्यक्षमता में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से पंजीयन प्रणाली में युक्तियुक्त सुधार बाबत्(ठेकेदारों का यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर के संबंध में ।)**

संदर्भ :- (1)आपका ज्ञाप क्रमांक प्र.अ./42111171/सा./13 रायपुर दि. 23.01.14
(2)शासन का आदेश क्रमांक एफ–21–8/टी/19/12/निविदा, नया रायपुर दिनांक 25.01.14

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत शासन के संदर्भित पत्र संदर्भ क्रमांक 2 का अवलोकन हो । जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त विभागों के ठेकेदारों का ई–रजिस्ट्रेशन दिनांक 27.1.2014 से लागू किया गया है ।

दिनांक 12 सितम्बर, 2013 को आयोजित मंत्रि परिषद् की बैठक में प्रदेश में ठेकेदारों के ई–रजिस्ट्रेशन हेतु एकीकृत पंजीयन व्यवस्था लागू करने के लिये अनुमोदन प्राप्त है ।

उपरोक्त अनुमोदन के तारतम्य में प्रदेश में ठेकेदारों के एकीकृत पंजीयन व्यवस्था के लिये प्रारुप जो संदर्भ क्रमांक 1 से प्राप्त है । आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

सहपत्र :–उपरोक्तानुसार ।

25/1/14
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग 25/1/14

पृ.क्रमांक एफ 21–8/टी/12/19/निविदा, नया रायपुर दिनांक /01/14
प्रतिलिपि :-

निज सचिव, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

सहपत्र :-उपरोक्तानुसार ।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग

E mail ID, ust_pwd@yahoo.in Ph.No. 0771-2510741 & Fax 2510741

प्रारूप

एकीकृत पंजीयन व्यवस्था – ई-रजिस्ट्रेशन

[UNIFIED REGISTRATION SYSTEM – E-REGISTRATION]

विभिन्न कार्य विभागों में वर्तमान में प्रचलित पंजीयन की पृथक–पृथक व्यवस्थाओं को समाप्त करते हुए पंजीयन की नवीन व्यवस्था एकीकृत पंजीयन व्यवस्था दिनांक 27.1.15 से लागू की जाती है, जिसे **"एकीकृत पंजीयन व्यवस्था – ई-रजिस्ट्रेशन"** **[Unified Registration System – E-Registration]** के नाम से जाना जावेगा । नवीन व्यवस्था निम्नानुसार होगी :–

बिन्दु क्रमांक–1 पंजीयन की श्रेणी

1- श्रेणी–अ – असीमित राशि तक के निर्माण कार्यों के लिए ।
2. श्रेणी–ब – रूपये 10 करोड़ तक के निर्माण कार्यों के लिए ।
3. श्रेणी–स – रूपये 2 करोड़ तक के निर्माण कार्यों के लिए ।
4. श्रेणी–द – रूपये 1 करोड़ तक के निर्माग कार्यों के लिए ।

बिन्दु क्रमांक–2 परिभाषाएँ

1.	पंजीकरण कार्यालय	:	प्रमुख अभियंता, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग
2.	पंजीकरण प्राधिकारी	:	प्रमुख अभियंता, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग
3.	अपीलीय प्राधिकारी	:	तीन सदस्यीय बोर्ड 1. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग 2. संबंधित विभाग के संस्था प्रमुख (सदस्य सचिव) 3. संचालक वित्त, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
4.	पेन (PAN) नंबर	:	स्थायी लेखा सख्या
5.	टिन (TIN) नम्बर	:	वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पंजीकृत संख्या
6.	ठेकेदार	:	व्यक्ति, प्रोप्राईटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, पंजीकृत कंपनी, पंजीकृत ऐसासिएशन ऑफ परसन्स तथा राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन का उपकम होगा ।

बिन्दु क्रमांक–3 निर्माण विभाग में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

नवीन पंजीयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न परिशिष्ट–1 एवं पूर्व से अन्य विभागों में पंजीयन फर्म/ठेकेदारों के व्यवस्थापन, वर्गोन्नति एवं नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–2 में संलग्न है ।

बिन्दु क्रमांक–4 पंजीयन शुल्क

4.1 पंजीयन की श्रेणी अनुसार पंजीयन शुल्क निम्नानुसार होगी :–

1. 'अ' श्रेणी – रूपये 50,000
2. 'ब' श्रेणी – रूपये 20,000
3. 'स' श्रेणी – रूपये 10,000
4. 'द' श्रेणी – रूपये 5,000

पंजीयन शुल्क वापसी योग्य नहीं होगी ।

4.2 **सुरक्षा निधि :–**

पंजीयन की श्रेणी अनुसार ठेकेदारों द्वारा निम्न तालिका अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंकों द्वारा जारी फिक्स डिपॉजिट की राशि (पांच वर्षों के लिए जो कि पंजीकरण प्राधिकारी के पदनाम पर देय हो) ही पंजीयन हेतु मान्य होगी ।

स.क्र.	ठेकेदार की श्रेणी	सुरक्षा राशि (रूपये लाख में)
1	अ	10.00 (दस लाख)
2	ब	5.00 (पाँच लाख)
3	स	2.00 (दो लाख)
4	द	1.00 (एक लाख)

बिन्दु क्रमाँक–5 पंजीयन हेतु आवश्यक अर्हताएँ

5.1 **'द' श्रेणी हेतु** :– 'द' श्रेणी में पंजीयन हेतु पूर्व अनुभव तथा कार्य निष्पादन की क्षमता की कोई शर्त लागू नहीं रहेगी, अपितु ठेकेदार/फर्म से निम्न जानकारी प्राप्त की जाना आवश्यक होगी :–

(क) ठेकेदार का पेन/TAN नंबर : PAN/TAN की प्रमाणित प्रति के साथ

(ख) टिन नंबर : TIN की प्रमाणित प्रति के साथ

(ग) शपथ पत्र :– न्यूनतम 5/– रू. के गैर न्यायिक स्टाम्प में संलग्न परिशिष्ट–3 अनुसार शपथ पत्र ठेकेदारों के द्वारा दिया जावेगा ।

5.2 **'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी हेतु :–**

'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी में पंजीयन हेतु उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 5.1 की उपकंडिका क, ख तथा ग में वर्णित आवश्कताओं के अतिरिक्त निम्नानुसार जानकारी भी दिया जाना अनिवार्य होगा :–

<u>अनुभव :–</u> विभिन्न श्रेणियों में पंजीयन हेतु निम्नानुसार अनुभव अपेक्षित है :–

स. क्र.	श्रेणी	कार्य करने की क्षमता	**नया पंजीयन/उन्नयन हेतु गत 5 वर्षों में से किन्ही 3 वर्षों में अनुभव**
1	2	3	4
1	अ	असीमित	रू. 10 करोड़
2	ब	रू. 10 करोड़ तक	रू. 4 करोड़
3	स	रू. 2 करोड़ तक	रू. 1 करोड़

उपरोक्त श्रेणी में पंजीयन/उन्नयन के लिये निम्न शर्तों का पालन करना होगा :–

5.2.1 कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (संलग्न एनेक्सर 1 एवं 2 में यथा आवश्यक) कार्यपालन अभियंता या इनके समकक्ष अधिकारी के द्वारा दिया गया हो, ही मान्य होंगे ।

5.2.2 फर्म/ठेकेदार जो कि प्रदेश के बाहर केन्द्रीय/राज्य सरकार अथवा उनके उपक्रम या अर्द्धशासकीय संस्थानों में पंजीकृत हैं, के पास तालिकानुसार संपादित कार्यों का अनुभव (संलग्न एनेक्सर 1, 2, 3 में यथा आवश्यक) होने पर उन्हें सीधे पंजीयन की पात्रता होगी ।

5.2.3 फर्म का यदि कोई भागीदार, फर्म से पृथक होकर या कोई अलग नाम से पंजीकृत होना चाहता है तो उसका कार्य अनुभव उसकी पंजीकृत फर्म में उसके भागीदारी के प्रतिशत के अनुरूप मान्य होगा ।

5.2.4 प्राईवेट ठेकेदार/फर्म द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र पंजीयन हेतु मान्य नहीं होगा ।

5.2.5 पॉवर आफ अटार्नी पर संपादित किये गये कार्य/सब कांट्रेक्ट के रूप में किये गये कार्यों के अनुभव प्रमाण पत्र को नहीं माना जावेगा, परंतु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से सबलेट किये गये कार्य के अनुभव को मान्य किया जावेगा ।

5.2.6 उच्च श्रेणी में पंजीयन उपरान्त संबंधित ठेकेदार का निम्न श्रेणी में पंजीयन स्वतः समाप्त माना जायेगा ।

5.3 पंजीयन की अवधि 5 वर्ष होगी । पंजीयन का नवीनीकरण, पंजीयन अवधि समाप्त होने के तीन माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने पर किया जावेगा बशर्ते पंजीकृत ठेकेदार द्वारा विगत दो वर्षो में किसी निविदा प्रक्रिया में भाग लिया हो तथा विगत पांच वर्षो में कोई एक ठेका प्राप्त कर लिया हो ।

5.4 संबंधित ठेकेदार का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अधिसूचित किसी भी बैंक में चालू/बचत खाता होना आवश्यक है। आवेदन के साथ संबंधित बैंक से दो फोटो तथा हस्ताक्षर प्रमाणित कर पंजीयन हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

5.5 **संबंधित ठेकेदार को आवेदन पत्र के साथ :-**

(i) **फर्म होने की दशा में "पंजीयक फर्म एवं सोसायटी" का पंजीयन प्रमाण पत्र तथा भागीदारी अभिलेख एवं**

(ii) **कंपनी होने की दशा में कंपनी का पंजीयन तथा मेमोरेण्डम आफ आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन एवं पिछले 3 वर्ष का प्रॉफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट तथा बैलेंस शीट दस्तावेज की नोटरी से सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा ।**

5.6 **एक ठेकेदार का एक ही पंजीयन किया जावेगा ।**

5.7 यदि किसी विभाग में किसी कार्य विशेष के संपादन के लिए विशिष्ट प्रकृति का अनुभव यथेष्ट होता हो तो उसकी जानकारी आवेदन पत्र में दिया जाना आवश्यक होगा । (एनेक्सर-2)

<u>बिन्दु क्रमांक-6</u> निर्माण कार्य विभागों में पूर्व से ही पंजीकृत फर्म/ठेकेदार का नवीन एकीकृत, पंजीयन व्यवस्था में व्यवस्थापन ।

6.1 निर्माण कार्य विभागों, अन्य शासकीय विभागों/अर्द्धशासकीय विभागों/निगम एवं बोर्ड में पूर्व से पंजीकृत ठेकेदारों को नवीन एकीकृत, पंजीयन व्यवस्था में व्यवस्थापन हेतु इस व्यवस्था के लागू होने के दिनांक से छः माह का समय प्रदान किया जावेगा, ताकि वे इस एकीकृत व्यवस्था में सम्मिलित हो सकें ।

6.2 छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण कार्य विभागों, अन्य शासकीय विभागों/अर्द्धशासकीय विभागों/निगम एवं बोर्ड में पूर्व से पंजीकृत ठेकेदार उक्त एकीकृत पंजीयन व्यवस्था होने तक अपने वर्तमान पंजीयन के साथ संबंधित विभाग में यथावत कार्य करते रहेंगे ।

6.3 इस व्यवस्था के लागू होने के दिनांक से अन्य किसी भी विभाग द्वारा कोई नया पंजीयन अथवा वर्तमान पंजीयन का नवीनीकरण नहीं किया जावेगा ।

<u>बिन्दु क्रमांक–7</u>:–**ठेकेदार का निचली श्रेणी में अवनत, पंजीयन का निलंबन, पंजीयन को रद्द करने एवं ठेकेदार का काली सूची में नाम डालने बाबत् ।**

7.1 ठेकेदारों को निचली श्रेणी में अवनत, पंजीयन को रद्द करने एवं ठेकेदारों का काली सूची में नाम दर्ज करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 5–8/19/2013/निविदा दिनांक 05/08/2013 में वर्णित प्रावधान लागू होंगे ।

7.2 उपरोक्त कार्यवाही संबंधित विभाग के संस्था प्रमुख के द्वारा की जावेगी एवं की गई कार्यवाही की सूचना प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को 03 दिवस में दी जावेगी । सूचना प्राप्त होने के उपरान्त औपचारिक कार्यवाही प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा की जावेगी ।

7.3 फर्म/ठेकेदारों को अपील प्रस्तुत करने का समय 30 दिवस दिया जावेगा। यह अपील संबंधित ठेकेदार द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी ।

7.4 अपील पर अनुशंसा सहित अभिमत संबंधित विभाग के संस्था प्रमुख द्वारा 30 दिन के अंदर अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा ।

7.5 अपील पर आवेदनकर्ता को सुनवाई का अवसर देते हुए अपीलीय प्राधिकार द्वारा 60 दिवस के अंदर निर्णय किया जावेगा तथा इस प्रकार किये गए निर्णय की सूचना नोडल अधिकारी (प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग) को 03 दिवस के अंदर दी जावेगी ।

7.6 ठेकेदार के अपील पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय के संबंध में प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा औपचारिक कार्यवाही की जावेगी ।

बिन्दु क्रमांक–8

ई–पंजीयन की व्यवस्था तीन माह के अंदर सभी कार्य विभाग/निगम/मंडल/बोर्ड में लागू की जायेगी ।

बिन्दु क्रमांक–9

ई–पंजीयन की व्यवस्था में शामिल सभी फर्म/ठेकेदार को यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान किया जावेगा ।

बिन्दु क्रमांक–10

फेसिलीटेशन सेन्टर–प्रत्येक जिले के सभी लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता, कार्यालय ई–रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही के लिए फेसिलीटेशन सेन्टर के रूप में कार्य करेंगे ।

बिन्दु क्रमांक–11

राज्य में एकीकृत पंजीयन व्यवस्था (ई–रजिस्ट्रेशन) लागू करने के लिए कार्य विभाग नियमावली 1983 Volume-I के चेप्टर 2 सेक्शन 16 (कंडिका 2.095 से 2.102) में विधि विभाग से परामर्श उपरान्त आवश्यक संशोधन करने हेतु नोडल विभाग (लोक निर्माण विभाग) को पृथक से कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक–12

आवश्यक होने पर लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंताओं की समिति की अनुशंसानुसार एकीकृत पंजीयन व्यवस्था प्रणाली में आवश्यक संशोधन करने हेतु नोडल विभाग (लोक निर्माण विभाग) को अधिकृत किया जाता है ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक निर्माण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत कार्य विभागों/उपक्रमों में ठेकेदारों के 'द' श्रेणी में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

पंजीयन शुल्क रूपये ....
मनी रसीद क्रमांक ....
फर्म/ठेकेदार श्री/श्रीमती ....
.... को आवेदन पत्र जारी किया गया ।

कार्यपालन अभियंता
.... संभाग
....

1. आवेदक का नाम :– ....
2. पिता/पति का नाम :– ....
3. निवास का पूर्ण पता :– ....
4. व्यैक्तिक विवरण :–

दूरभाष क्रमांक एसटीडी कोड सहित	मोबाईल नंबर

पेन नंबर	टिन नंबर

फैक्स नंबर	ई–मेल का पता

5. कार्य का प्रकार जिसके लिये पंजीयन आवेदित है । (टिक करें)

सिविल	विद्युत	सिविल एवं विद्युत

6. आवेदक की हैसियत (टिक करें)

स्वयं	भागीदारी फर्म	कंपनी

7. प्रस्तुत एफडीआर का विवरण (जमानत राशि)

क्रमांक	राशि	बैंक का नाम	स्थान

सहपत्रों की सूची –

(1) पेन नंबर (प्रमाणित प्रति के साथ)
(2) टिन नंबर (प्रमाणित प्रति के साथ)
(3) विद्युत कार्य हेतु लायसेंस (प्रमाणित प्रति के साथ)
(4) निर्धारित शपथ–पत्र (मूल)
(5) एफ.डी.आर. (सुरक्षा राशि पंजीयन अनुमोदन के पश्चात)
(6) दो फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर जो बैंक अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो ।
(7) फर्म के पंजीयन एवं पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित प्रति ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पूर्व से अन्य विभागों में पंजीकृत फर्म / ठेकेदारों के व्यवस्थापन वर्गोन्नति / नवीनीकरण एवं 'अ, ब, स' श्रेणी में नवीन पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

पंजीयन शुल्क रुपये ....
मनी रसीद क्रमांक................................
फर्म / ठेकेदार श्री / श्रीमती..................
..........................को आवेदन पत्र जारी किया गया ।

कार्यपालन अभियंता
..............................संभाग
....

1. आवेदक का नाम :– ....
2. पिता / पति का नाम :– ....
3. निवास का पूर्ण पता :– ....
4. व्यैक्तिक विवरण :– ....

दूरभाष क्रमांक एसटीडी कोड सहित	मोबाइल नंबर

पेन नंबर	टिन नंबर

फैक्स नंबर	ई–मेल का पता

5. कार्य का प्रकार जिसके लिये पंजीयन आवेदित है (टिक करें)

सिविल	विद्युत	सिविल एवं विद्युत

6. आवेदक की हैसियत (टिक करें)

स्वयं	भागीदारी फर्म	कंपनी

7. आवेदन किस हेतु है(टिक करें)

व्यवस्थापन	नवीनीकरण	श्रेणी उन्नयन

8. वर्तमान पंजीयन का विवरण :–

विभाग का नाम	सिविल कार्य या विद्युत कार्य	पंजीयन श्रेणी	वर्तमान में पंजीकृत श्रेणी में अधिकतम कार्य लेने की वित्तीय सीमा

9. आवेदित पंजीयन की श्रेणी(टिक करें)

स–श्रेणी	ब–श्रेणी	अ–श्रेणी

10. प्रस्तुत एफडीआर का विवरण(सुरक्षा राशि)

क्रमांक	राशि	बैंक का नाम	स्थान

11. आवेदक अथवा उनके भागीदार या शेयर होल्डर कभी ब्लैक लिस्ट किये गये हो या उनका पंजीयन निरस्त/निलंबित/डाउनग्रेड किया गया हो तो उसका विवरण :–
(जानकारी पृथक से संलग्न की जावें)

12. आवेदक के विरुद्ध कार्य अपूर्ण छोड़ने पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही :–
(जानकारी पृथक से संलग्न की जावें)

13. शासन को दी जाने वाली देनदारियों का विवरण :–
(जानकारी पृथक से संलग्न की जावें)

(1) विभाग का नाम :–
(2) संभाग का नाम :–
(3) देनदारी की राशि :–

14. निर्माण विभागों में चल रहे न्यायालयीन विवादों का विवरण :–
(1) विभागीय आर्बिटेशन में ....प्रकरण
(2) ट्रिब्यूनल में..प्रकरण
(3) जिला न्यायालय में...प्रकरण
(4) उच्च न्यायालय में ....प्रकरण

15. सहपत्रों की सूची
(1) पेन नंबर(प्रमाणित प्रति के साथ)
(2) टिन नंबर(प्रमाणित प्रति के साथ)
(3) विद्युत कार्य हेतु लायसेंस(प्रमाणित प्रति के साथ)
(4) निर्धारित शपथ–पत्र (मूल)
(5) एफडीआर (सुरक्षा राशि पंजीयन अनुमोदन के पश्चात्)
(6) दो फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर जो बैंक अधिकारी से अभिप्रमाणित
(7) पूर्व पंजीयन आदेश की सत्यापित प्रति
(8) कार्यानुभव प्रमाण पत्र(एनेक्सर–1)
(9) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विशिष्ट प्रकृति के कार्यों के लिये आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र (एनेक्सर – 2)
(10) वर्तमान में चल रहे कार्यों की जानकारी (एनेक्सर–3)

(आवेदक के हस्ताक्षर)

शपथ–पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कु. .... आत्मज श्री .... आयु .... वर्ष, निवासी ...., जिला .... राज्य .... शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :–

(1) मैं आवेदनकर्ता ठेकेदार/फर्म/कंपनी की ओर से ठेकेदारी में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने, जानकारी अथवा अभिलेख प्रस्तुत करने, शर्तों को मान्य करने एवं पंजीकरण प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा पृच्छा की गई सूचनाओं का उत्तर प्रस्तुत करने उन्हें सत्यापित करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत हूँ ।

(2) यह कि मेरे/हमारे द्वारा "केन्द्रीयकृत पंजीकरण प्रणाली, ई–पंजीयन" छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पंजीयन हेतु ऑनलाईन भरी गई जानकारी एवं संलग्न अभिलेखों को परीक्षण कर सत्यापन किया गया है तथा इस प्रकार भरी गई जानकारी एवं प्रस्तुत अभिलेख, प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज सही और सत्य है ।

(3) यह कि मेरे/हमारे द्वारा ठेकेदार/फर्म/कंपनी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन करने अथवा करवाने के लिए विभाग अधिकृत होगा तथा इस कार्य में हमारे/ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा विभाग को वांछित सहयोग प्रदान किया जाएगा ।

(4) यह कि मेरे/हमारे द्वारा ठेकेदार/फर्म/कंपनी की ओर से प्रस्तुत जानकारी/अभिलेख गलत पाये जाने पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही मुझे/हमें स्वीकार्य होगी ।

(5) यह कि मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा स्वरूप/पार्टनर में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में 15 कार्य दिवस में इस तथ्य की सूचना पंजीकरण प्राधिकारी अथवा इस कार्य हेतु उसके द्वारा निर्धारित अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

(6) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि ठेकेदार/फर्म/कंपनी के "एकीकृत पंजीयन प्रणाली, ई–पंजीयन" के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पंजीयन हेतु पार्टनर/डायेक्टर का अनुभव उसके फर्म में भागीदारी के प्रतिशत/कंपनी के शेयर के अनुपात में ही गणना कर पंजीयन हेतु अनुभव के रूप में मान्य की जावेगी ।

(7) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि ठेकेदार/फर्म/कंपनी के "एकीकृत पंजीयन प्रणाली, ई–पंजीयन" के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में निविदाओं में कार्यभार की गणना में निविदाकार के कार्यभार के साथ–साथ अन्य पंजीयनों में भागीदारी के प्रतिशत के अनुसार उसके पार्टनर/डायरेक्टर के कार्यभार को शामिल कर किया जावेगा ।

(8) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि "एकीकृत पंजीयन प्रणाली, ई–पंजीयन" के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पंजीयन के आधार पर किसी निविदा कार्यवाही में भाग लिए जाने अथवा इस आधार पर अनुबंध में ठेकेदार/फर्म/कंपनी अथवा उनके द्वारा अधिकृत द्वारा

नियमों के प्रतिकूल की गई कार्यवाही के लिए ठेकेदार/फर्म/कंपनी जिम्मेदार होगी तथा छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी ।

(9) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि "एकीकृत पंजीयन प्रणाली, ई–पंजीयन" के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पंजीयन के आधार पर किसी निविदा कार्यवाही में भाग लिए जाने अथवा इस आधार पर किए गए अनुबंध में नियमानुसार वांछित कार्य नहीं किए जाने पर विभाग द्वारा ठेकेदार/फर्म/कंपनी के विरूद्ध अनुबंध में की गई कार्यवाही के आधार पर पंजीयन अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नियमों/निर्देशों के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी ।

(10) यह कि, ठेकेदार/फर्म/कंपनी के द्वारा किसी भी कार्य विभाग में कार्य अपूर्ण नहीं छोड़ा गया है ।

(11) यह कि, ठेकेदार/फर्म/कंपनी के पंजीयन को किसी भी कार्य विभाग द्वारा ब्लेक लिस्ट/निचली श्रेणी में अवनत/निलंबन/निरस्तीकरण नहीं हुआ है ।

(12) यह कि, ठेकेदार/फर्म/कंपनी के विरूद्ध शासकीय देयता शेष नहीं है ।

(13) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि ठेकेदार/फर्म/कंपनी द्वारा अपने पंजीयन की श्रेणी में परिवर्तन के साथ पुराना पंजीयन स्वतः निष्प्रभावी/समाप्त हो जावेगा ।

(14) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि पंजीकरण के समय तथ्यों को छुपाया जाने/असत्य पाये जाने पर ठेकेदार/फर्म/कंपनी का पंजीकरण समाप्त कर दिया जावेगा ।

(15) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि पंजीयन के नवीनीकरण के लिए आवेदन वर्तमान पंजीयन की अवधि समाप्त होने के 90 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।

(16) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि छत्तीसगढ़ राज्य के किसी विभाग/निगम/मंडल में ठेकेदार/फर्म/कंपनी के पंजीयन के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को है ।

(17) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि छत्तीसगढ़ राज्य के किसी विभाग/निगम/मंडल के विभागाध्यक्ष द्वारा कंडिका 13 के अनुसार कार्यवाही किए जाने पर यह तत्काल प्रभावशील होगा एवं इसे ऑनलाईन प्रभावशील करने की मात्र औपचारिक कार्यवाही पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा की जावेगी ।

(18) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि छत्तीसगढ़ राज्य के किसी विभाग/निगम/मंडल के विभागाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त कंडिका 13 अनुसार कार्यवाही कर आदेश किए जाने पर संबंधित अधिकारी द्वारा इसकी सूचना 3 दिनों के अंदर पंजीकरण प्राधिकारी को संवाहित की जानी है एवं यह भी कि, ठेकेदार/फर्म/कंपनी इस प्रकार के आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अंदर पंजीकरण प्राधिकारी के कार्यालय में "एकीकृत

पंजीयन प्रणाली के नियम 7.3 सहपठित 2 (3) अनुसार गठित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है ।

(19) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि ठेकेदार/फर्म/कंपनी "एकीकृत पंजीयन प्रणाली, ई–पंजीयन" छत्तीसगढ़ के अंतर्गत गठित अपीलीय प्राधिकारी को अपील के समय सीमा में निपटारे में वांछित सहयोग करेगा ।

(20) यह कि, मैं/हम इस तथ्य से अवगत हैं, कि ठेकेदार/फर्म/कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के स्वरूप से भलीभाँति अवगत हैं ।

(21) यह कि, पंजीयन हेतु ऑनलाईन प्रस्तुत की जाने वाली उपरोक्त जानकारी/अभिलेखों को मेरे द्वारा ठेकेदार/फर्म के सभी भागीदारों/कंपनी के सभी संचालकों से तथ्यों की पुष्टि कराकर ही प्रस्तुत की गई है ।

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं .... आत्मज .... शपथपूर्वक सत्यापन करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार शपथ पत्र की कंडिका 1 से 21 में उल्लेखित तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास पर आधारित है एवं सत्य है एवं इसका सत्यापन आज दिनांक .... को मेरे द्वारा किया गया ।

शपथकर्ता

टीप :– नोटरीकृत शपथ पत्र न्यूनतम 5 रूपये के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत किया जावे।

Annexure-1

Works completed as prime Contractor (in the same name and style) on Civil Engineering Construction Works over the last five years.

Sno	Project Name	Name of Employer	Description of work	Value of contract	Contract No.	Date of Issue of Work Order	Stipulated Date of Completion	Actual Date of Completion	Year wise value of work done as per certificate in lakhs of Rs.						Remarks explaining reasons for Delay, if any and the amount of LDimposed/ deductions made due to delay.
									2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Total														

Note: Attach certified copy of work order and completion certificate issued by Engineer-in-charge not below the rank of Executive Engineer of each work clearly mentioning value of work done/paid in each year if completed in more than one financial year. Complete address and phone/fax number with STD code must be indicated in each certificate so that verification can be made.

Annexure-2

LIST OF SPECIALISED WORKS

1. Gates and Steel Fabrications.
2. Tunnelling.
3. Drilling and Grouting.
4. Supply of Spedial Tools and Plants.
5. Supply of special materials the list of which is approved by C.E.
6. Installation of special equipments in Water Works/Sewage Works.
7. Construction of Water/Sewage treatment plants.
8. Manufacture, Transport, Laying and Joining of Steel/Prestressed concrete pipe mains.
9. Water Towers of capacity 2 million litres and above.

Annexure-3

Statement of Works which are yet to be completed as prime Contractor (in the same name and style)
(Attach certificate from the Engineer-in-charge)

Sno	Project Name	Name of Employer	Description of work	Value of contract	Agrement No.	Date of Issue of Work Order	Stipulated Date of Completion	Probable Date of Completion	Value of works done (Rs. Lakhs) *	Value of works remaining to be completed (Rs. Lakhs) *	Remarks explaining reasons for Delay, if any and the amount of LD imposed/ deductions made due to delay.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Total										

Enclose certificate(s) from Engineer(s)-in-charge for value of work remaining to be completed.